

न्यायालय तहसीलदार राजाखेडा (धौलपुर)

२५/११/१७

निर्णय दिनांक १०/१०/१७

रिपोर्ट पटवारी हल्का राजाखेडा द्वारा प्रस्तुत की गई । प्रकरण राजस्थान भू० राजस्व अधिनियम १९५६ की धारा ९१ के तहत दर्ज रजिस्टर होकर अतिक्रमी को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक २३/११/१७ को पेश हो।

पत्रावली पेश हुई । आवाज लगवाई गई गैर सायल उपस्थित / अनुपस्थित रहा संक्षिप्त में विवरण निम्नप्रकार है कि पटवारी हल्का राजाखेडा द्वारा इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है कि गैर सायल राजाखेडा पुत्र विद्या कौम बख्त निवासी विहिय तहसील राजाखेडा ने आराजी ख० न० २५० किस्म २२५५ रकबा ७१० बांके ग्राम विहिय पर राजाखेडा की अतिक्रमण कर लिया है प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को जरिये नोटिस से तलब किया गया । गैर सायल उपस्थित / अनुपस्थित रहा। कोई सबूत व साक्ष्य पेश नहीं किया गया । तत्पश्चात रिपोर्ट पटवारी हल्का को अवलोकन किया तो पाया गया कि अतिचारी का अतिचार सिद्ध होता है।

अतः राजस्थान भू० राजस्व अधिनियम १९५६ की धारा ९१ के तहत अतिचारी को उक्त आराजी से बेदखल किया जाता है शरह लगान २१०० की ५० गुनी से शास्ति राशि १०० रुपये आरोपित की जाती है। भू० अभिलेख निरीक्षक / पटवारी हल्का को लिखा जावे। टी०आर०ए० को मांग कायमी हेतु लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया ।

राशि १०० राजस्व

कृ० न० ३२ न० १५

6/2/102

TRA

राजाखेडा

पय

तहसीलदार
राजाखेडा